76

COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर कैम्प –उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक– /2016–17 निगरानी
PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/4422

मोतीराम पिता [illegible]याराम, आयु 40 वर्ष, धंधा–खेती, निवासी– ग्राम तालोद, तहसील व जिला– उज्जैन म.प्र.

.... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

रामु पिता गणपतजी बागरी, आयु – 50 वर्ष, धंधा– खेती, निवासी– ग्राम तालोद, तहसील व जिला– उज्जैन म.प्र.

.... रेस्पांडेट

प्रार्थी अभिभाषक श्री अनिल बाघेर द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 04.10.17
अधीक्षक 04.10.17
आयुक्त कार्यालय उज्जैन

माननीय महोदय,

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक– 09/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2016 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर निर्धारित समयावधि में निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत है।

24-11-17

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, रेस्पांडेंट के द्वारा नायब तहसीलदार महोदय उज्जैन के समक्ष ग्राम तालौद में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र. 34/2 रकबा 0.83 आरे पर सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर निगरानीकर्ता को बिना सूचना दिये ही राजस्व निरीक्षक उज्जैन एवं पटवारी द्वारा दिनांक 18.06.2016 को निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में सीमांकन कर निगरानीकर्ता की कृषि भूमि पर 0.12 हेक्टेयर पर कब्जा होना बताया गया है। जिसका पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.06.2016 का प्रतिवेदन भी दिया गया। जबकि निगरानीकर्ता का ही उक्त सर्वे भूमि 34/1 रकबा 0.84 आरे कृषि भूमि का मालिक है और उसके द्वारा ही वर्तमान में उक्त भूमि पर सोयाबीन की फसल बोई हुई है। पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से रेस्पांडेंट द्वारा सांठगांठ कर दुरभि संधि कर निगरानीकर्ता की कृषि भूमि हड़पने की नियत से पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में

निरंतर

मोतीराम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/4422

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल **बारोड** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब **नवीन** संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध **सुनवाई** कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	